न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निग/एलआर/5584/2003/भरतपुर

उमर मोहम्मद पुत्र मंगल जाति मेव निवासी ग्राम लवान तहसील नगर जिला भरतपुर

प्रार्थी

बनाम

1 भागमल पुत्र कालू
2 ईशाक पुत्र कालू
3 सौराब पुत्र कालू
4 असरू पुत्र अहीमल
5 शाहरूदीन पुत्र अहीमल
6 मु0 जुहल्बी बेवा अडीमल समस्त जाति मेव निवासी लवान
7 रामसिंह पुत्र आणदा जाति गुर्जर निवासी भावली तहसील नगर
8 राजस्थान सरकार

अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री जे.के.पारीक वकील प्रार्थी
श्री राजेश गौतम वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 6

निर्णय

दिनांकः.8.6.2018

यह निगरानी धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कलक्टर, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 8/2000 में पारित आदेश दिनांक 14.8.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम लवान स्थित आराजी खसरा नम्बर 156, 162, 163 का आवंटन दिनांक 1.8. 2000 को तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर, नगर द्वारा वर्तमान अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष में किया गया। जिसके विरूद्ध वर्तमान प्रार्थी ने जिला कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील में वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात उनके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गई हैं जिससे उन्हें प्रकरण में पक्षकार बनाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश दिनांक 14.8.2003

से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने विवादित आराजी बयनामा दिनांक 3.7.80 व 15.7.80 से क्रय करने के आधार पर स्वंय को व्यथित पक्षकार बताया है परन्तु इस दिन आवंटी रामसिंह को बयनामा करने का अधिकार ही नहीं था। रामसिंह इस दिन विवादित भूमि का खातेदार नहीं था। रामसिंह को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। इस बयनामा से अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जिससे उन्हें व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता। अतः यह निगरानी स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि आवंटी रामसिंह ने आवंटित भूमि की सम्पूर्ण राशि राजकोष में जमा कराकर विवादित भूमि को पंजीकृत बयनामा दिनांक 3.7.80 व 15.7.80 से अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को विक्रय कर दिया एवं कब्जा सम्भला दिया तब से अप्रार्थी संख्या 1 से 6 खातेदार होकर काबिज चले आ रहे हैं। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 से 6 प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार हैं। प्रार्थी ने जानबूझकर उन्हें अपील में पक्षकार नहीं बनाया जबकि पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों का पूर्ण विवेचन कर निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः यह निगरानी खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात को आवंटी अप्रार्थी संख्या 7 से वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने पंजीकृत विकय्र पत्र से क्रय की है तथा इसी आधार पर प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु निवेदन किया है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने विवादित भूमि पंजीकृत विकय्र पत्र से आवंटी अप्रार्थी संख्या 7 से क्रय की है जिससे वे प्रकरण में हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार हैं जिन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित हैं। प्रार्थीगण का यह कथन है कि बेचान अवैध है एवं उससे क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, यह तथ्य इस समय नहीं तय किया जा सकता। विवादित आराजीयात पर किसका अधिकार रहेगा तथा किसका अधिकार नहीं रहेगा, यह सब तथ्य दोनों पक्षो को सुनकर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को पीडित पक्षकार मानते हुए प्रकरण में पक्षकार बनाने में

किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की है जिससे हम यह निगरानी खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी खारिज की जाती है एवं जिला कलक्टर, भरतपुर का आदेश दिनांक 14.8.2003 यथावत रखा जाता है। इस संदर्भ में नवीन नियम 5क आया है। जिला कलक्टर अपने यहां अपील का नियमों के अन्तर्गत शीघ्र सुनवाई कर यथाशक्य अधिकतम 6 माह में नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य